राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 6258 /06

राम चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक: 20 .10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री अनिल शर्मा , अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री एम एल गोयल , विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत प्रलेखीय सामग्री/ केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में सह अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह व भागवान सिंह के विरूद्ध अन्वीक्षा होकर उनको दोषमुक्त किया जा चुका है तथा अन्य सह अभियुक्त श्री राम का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की कोर्डिनेट बेंच द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्त- प्रार्थी के विरूद्ध धारा 173 (8) में यह मामला लम्बित रखा हुआ है जबकि उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य ही नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अभियुक्त- प्रार्थी स्वयं को अन्वीक्षा न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए तत्पर है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

अभियुक्त- प्रार्थी के विरूद्ध धारा 279, 365, 395, 397 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता का मामला है।

इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन न करते हुए, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त- प्रार्थी की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए यह अभियुक्त- प्रार्थी रामचन्द्र का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का उचित मामला नहीं है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त- प्रार्थी स्वयं को अन्वीक्षा न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा स्वयं को अन्वीक्षा न्यायालय के समाक्ष किसी भी कार्य दिवस को प्रात: 11 बजे से पूर्व समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित अन्वीक्षा न्यायालय, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार कर यथा सम्भव उसका उसी दिन निस्तारण कर देंवे।

(**न्या0 जितेन्द्र राय गोयल**)